पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या –21071/2021

= =

शैलेंद्र कुमार ओझा पिता स्वर्गीय योगेंद्र ओझा, निवासी 403, गौरी शंकर आप्ट, फेज–1, लोयोला हाई स्कूल के उत्तर, कुर्जी, थाना– पाटलिपुत्र, जिला–पटना–800010

... . याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाताओं

= =

उपस्थितीः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री रवि कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री राघवानंद, जी. ए. 11

श्री संजय कुमार तिवारी तिवारी,एसी से जीए–11

= =

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 – नियम 43 (b)

रद्दीकरण –

याचिकाकर्ता ने बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के **नियम 43 (b)** के तहत **अनुशासनात्मक कार्यवाही** शुरू करने के लिए पारित किए गए संकल्प को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता को **28/1/1988** को **बिहार सरकार के कृषि विभाग** में नियुक्त किया गया था और बाद में **29/6/2002** को **सारण जिले में जिला कृषि अधिकारी** के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दो दोषी अधीनस्थ अधिकारी उन्हें परेशान करते थे और कार्यभार के निर्वहन में सहयोग नहीं करते थे। याचिकाकर्ता ने पुलिस को इन अधिकारियों की गलत गतिविधियों के बारे में सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय एक झूठा मामला दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता को **विजिलेंस पुलिस केस संख्या 18/2003** में आरोपी बना दिया गया। **8/1/2004** को उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद, उन्हें **4/3/2004** को निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाद में इस निलंबन को रद्द कर दिया गया। यह

मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता को 21/2/2004 को निलंबित किया गया, लेकिन बाद में निलंबन रद्द कर दिया गया।

22/3/2005 को इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के करीब, 31/12/2019 को 8/1/2019 को एक शो कॉज़ नोटिस जारी किया गया। आरोप तय किए गए और याचिकाकर्ता से उसका बयान देने को कहा गया। इसके बाद 22/10/2021 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

साक्ष्यों के परीक्षण के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जो misconduct (दुराचार) 2003 में हुआ था, उसके लिए विभागीय कार्यवाही **उनकी सेवानिवृत्ति के बाद** शुरू की गई है, और यह कार्यवाही **चार वर्षों के भीतर** नहीं की गई है, जो कि नियम 43 (b) के तहत सीमित है।

यह स्पष्ट है कि 8/1/2019 को जारी किया गया पत्र, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले विभागीय कार्यवाही की वैध शुरुआत नहीं कहला सकता। यह कार्यवाही उनके सेवानिवृत्ति के बाद 31/12/2019 को शुरू की गई, जो कि नियम 43 (b) के तहत **चार साल** की सीमा से बाहर है। इस प्रकार, 22/10/2021 को जारी किया गया नोटिस और कार्यवाही **सीमित अवधि के भीतर** न होने के कारण रद्द किया गया है।

न्यायालय का निर्णय –न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की शुरुआत **सीमित अवधि** के बाहर की गई है, और इसे **रद्द किया गया**।

याचिका स्वीकृत की जाती है।

संदर्भित:

1. **मो. इदरीश अंसारी**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

समक्षः–माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः19–04–2024

1. वर्तमान रिट याचिका ज्ञापन संख्या 359 दिनांक 22.10.2021 में निहित प्रस्ताव को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने बिहार पेंशन नियम, 1950 (इसके बाद 'नियम, 1950' के रूप में संदर्भित) के नियम 43 (बी) के तहत कथित रूप से विभागीय कार्यवाही शुरू किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना में 28.01.1988 पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें 29.06.2002 छापरा में जिला कृषि अधिकारी, सारण के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि दो त्रुटिपूर्ण अधीनस्थ अधिकारी याचिकाकर्ता को परेशान करते थे। और वे आधिकारिक कार्य के निर्वहन में याचिकाकर्ता के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, जिससे याचिकाकर्ता ने उक्त दो अधीनस्थ अधिकारियों के कुकर्मों के बारे में पुलिस को सूचित किया, हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बजाय एक झूठा जाल मामला दर्ज किया गया हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बजाय एक झूठा जालसाजी मामला दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता को सतर्कता पुलिस थाना कांड संख्या 18/2003 में आरोपी बनाया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और 08.01.2004 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को 21.02.2004 के आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था और बाद में, 04.3.2004 के आदेश के माध्यम से निलंबन को रद्द कर दिया गया था। अंततः 22.03.2005 को उक्त दोनों दोषी अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू की गई, तथापि, इस बीच उक्त सतर्कता थाना कांड संख्या 18/2003 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, परंतु वह अभी भी विद्वान विचारण न्यायालय में विचाराधीन है।

3. इस बिंदु पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 31.12.2019 को कारणपृच्छा नोटिस जारी किया गया था, दिनांक 08.01.2019 के पत्र के अनुसार और प्रपत्र (का) के तहत आरोप तय किए गए थे और याचिकाकर्ता को अपना लिखित/बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन

प्रतिवादियों ने पहली बार, नियम 43 (बी) 1950 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 19–04–2024, ज्ञापन दिनांक 22.10.2021 के अनुसार, यानी याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद और वह भी वर्ष 2003 से संबंधित आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नियम 1950 के नियम 43(बी) का हवाला देते हुए कहा कि इसके प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई विभागीय कार्यवाही सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए शुरू नहीं की गई है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद केवल उस घटना के संबंध में शुरू किया जा सकता है जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बिहार राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। इदरीस अंसारी ने 1995 के सुप्प (3) एससीसी 56 में रिपोर्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियम 1950 के नियम 43 (बी) के तहत एक विभागीय कार्यवाही केवल सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की जा सकती है, ऐसे कदाचार के संबंध में जो अपराधी के रूप में ऐसी विभागीय कार्यवाही शुरू होने के चार साल के भीतर हो सकती है, हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही, नियम 1950 केवल 22.10.2021 को शुरू की गई थी और वह भी दिनांक 19–04–2024 वर्ष 2003 से संबंधित आरोप के लिए, यानी एक कदाचार के संबंध में जो उक्त कार्यवाही शुरू होने के 4 साल से अधिक समय बाद हुआ था कार्यवाही न केवल नियम 1950 के नियम 43(बी) के प्रावधान द्वारा वर्जित है, बल्कि मोहम्मद इदरीस अंसारी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के भी विपरीत है।

5. इसके विपरीत प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 31.12.2019 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले ही 08.01.2019 को कारणपृच्छा नोटिस जारी करके विभागीय कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी, जो सतर्कता थाना कांड संख्या 18/2003 से संबंधित है, इसलिए नियम 1950 के नियम 43(बी) के तहत मेमो दिनांक 22.10.2021 के तहत शुरू की गई विभागीय कार्यवाही उसी की निरंतरता है, इसलिए पूर्वोक्त प्रतिबंध वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि जिस कदाचार के लिए नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, वह नियम 1950 वर्ष 2003 में किया गया था, फिर भी, याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 19–04–2024 के ज्ञापन दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से

विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, याचिकाकर्ता के 31.12.2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद और वह भी चार वर्ष की सीमा से परे की अवधि से संबंधित कदाचार के संबंध में। इस संबंध में, नियम 43(बी) नियम 1950 को नीचे पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:–

> "43(ख) राज्य सरकार अपने पास पेंशन या उसके किसी भाग को, चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोक लेने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है और यदि याचिकाकर्ता विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है; या सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर की गई सेवा सहित अपने सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने का दोषी पाया जाता है, तो सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि को पेंशन से वसूलने का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखती है:
>
> बशर्ते–
>
> (क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर रहते समय शुरू नहीं की गई हो:
>
> (i) राज्य सरकार की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा;
>
> (ii) ऐसी घटना के संबंध में होगा जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार वर्ष से अधिक पूर्व नहीं हुई हो,
>
> (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर संचालित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और उन कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिन पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है,
>
> (ख) न्यायिक कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर रहते समय शुरू नहीं की गई है, तो खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार शुरू की गई होगी; तथा
>
> (ग) अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

7. "यह न्यायालय यह पाता है कि वर्तमान मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद इदरीस अंसारी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के अंतर्गत आता है, जिसका पैराग्राफ संख्या 10 नीचे पुन: उद्धृत किया जा रहा है:–

> "10. जहां तक दूसरे प्रकार के मामलों का संबंध है, संबंधित सरकारी सेवक की ओर से उसके सेवाकाल के दौरान गंभीर कदाचार का सबूत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही से निकाला जाना होगा जो उसके सेवाकाल के दौरान हुई हो या विभागीय कार्यवाही से जो ऐसे प्रकार के मामलों में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी शुरू की जा सकती है। लेकिन ऐसी विभागीय कार्यवाही को नियम 43(बी) की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। परिणामस्वरूप, एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही के अनुसार उसके सेवाकाल के दौरान गंभीर कदाचार का दोषी पाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कार्यवाही केवल ऐसे कदाचार के संबंध में शुरू की जा सकती है जो उसके खिलाफ ऐसी विभागीय कार्यवाही शुरू होने के 4 साल के भीतर हुई हो। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी 31–1–1993 को सेवानिवृत्त हुआ और गंभीर कदाचार के आधार पर कारणपृच्छा नोटिस जारी किया गया था। 27–9–1993 को जारी किया गया था और इस आधार पर नहीं कि पेंशनभोगी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में जारी किया गया था। इसलिए, इसे नियम 43 (बी) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, ऐसा नोटिस किसी भी कदाचार को कवर कर सकता है यदि दिनांक 27–9–1993 से पहले 4 वर्षों के भीतर किया गया, जिसका अर्थ है कि इसे 26–9–1989 से 31–1–1993 तक की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए था जब प्रतिवादी सेवानिवृत्त हुआ। केवल ऐसे कदाचार के मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती थी। ऐसी कार्यवाही में, यदि उसे कदाचार का दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ नियम 139(ए) और (बी) के तहत उचित कार्यवाही की जा सकती थी। वर्तमान मामले के

तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय से सहमत होते हुए यह माना जाना चाहिए कि 27–9–1993 के नोटिस में नियम 139(ए) के तहत शक्तियों का आह्वान किया गया है और (बी) यह आदेश पूरी तरह से कथित पिछले कदाचार के आधार पर जारी किया गया था और इस आधार पर नहीं था कि प्रतिवादी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। जहां तक, उस आधार का संबंध है, नियम 43(बी) और नियम 139(ए) के संयुक्त वाचन पर इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि चूंकि कथित कदाचार प्रतिवादी द्वारा 27–9–1993 को कारणपृच्छा नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 4 वर्ष पहले किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता प्राधिकारी के पास साबित कदाचार के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ नियम 139(ए) और (बी) को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन, यह माना जाना था कि नियम 139 के तहत कार्यवाही पूरी तरह से अक्षम थी। उच्च न्यायालय 13–12–1993 के अंतिम आदेश को रद्द करने में समान रूप से न्यायसंगत था क्योंकि इस तरह के कदाचार का कोई सबूत नहीं है। नियम 139(ए) और (बी) के तहत कार्यवाही को वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 1986–87 से चार साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी विभागीय कार्यवाही में कथित गंभीर कदाचार साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कार्यवाही नियम 43(बी) के प्रावधान (ए)(ii) द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित होगी। परिणामस्वरूप 27–9–1993 की तारीख वाले कारणपृच्छा नोटिस को शुरू से ही मृत और अप्रभावी माना जाएगा। रिमांड के माध्यम से किसी भी नई कार्यवाही का समर्थन करने के लिए इस तरह के नोटिस का सहारा नहीं लिया जा सकता।पूरी तरह से कथित पिछले कदाचार के आधार पर जारी किया गया था और इस आधार पर नहीं था कि प्रतिवादी का सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। जहां तक उस आधार का सवाल है, नियम 43(बी) और नियम 139(ए) के संयुक्त पढ़ने पर इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि चूंकि कथित कदाचार प्रतिवादी द्वारा 27–9–1993 को कारणपृच्छा नोटिस जारी होने की तारीख से 4 साल पहले किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता प्राधिकारी के पास पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या

21071 दिनांक 19–04–2024 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ साबित कदाचार के आधार पर नियम 139(ए) और (बी) को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन, यह माना जाना था कि नियम 139 के तहत कार्यवाही पूरी तरह से अक्षम थी। उच्च न्यायालय द्वारा 13–12–1993 के अंतिम आदेश को रद्द करना भी उतना ही उचित था, क्योंकि इस तरह के कदाचार का कोई सबूत नहीं है। नियम 139(ए) और (बी) के तहत कार्यवाही को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1986–87 से चार साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी विभागीय कार्यवाही में कथित गंभीर कदाचार स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसी कार्यवाही नियम 43(बी) प्रावधान (ए)(ii) द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित होगी। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं है।

8. प्रतिवादी–राज्य के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.01.2019 के ज्ञापन के माध्यम से कारणपृच्छा नोटिस और आरोप ज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है, याचिकाकर्ता की 31.12.2019 को सेवानिवृत्ति से पहले, यह न्यायालय पाता है कि दिनांक 08.01.2019 के उक्त ज्ञापन को किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के विरुद्ध वैध और कानूनी विभागीय कार्यवाही की शुरुआत नहीं कहा जा सकता है, इस तथ्य के अलावा कि प्रतिवादियों ने यह दिखाने के लिए कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि यदि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, तो उसे 31.12.2019 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद नियम, 1950 के नियम 43(बी) के तहत एक में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए दिनांक 08.01.2019 के ज्ञापन के मूल उद्देश्य पर विचार करते हुए 22.10.2021 को जारी किया गया ज्ञापन, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध नियम 43(बी) के अंतर्गत पहली बार विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, वर्ष 2003 के कदाचार से संबंधित, इस न्यायालय का विचार है कि नियम 43(बी) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, नियम 1950 के अनुसार यह कार्यवाही समय–सीमा के अनुसार वर्जित है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के विरुद्ध नियम 43(बी) के अंतर्गत कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते थे, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, 31.12.2019 को, ऐसे कदाचार के संबंध में, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू होने के 4 वर्ष से अधिक समय बाद हुआ है, इस प्रकार, दिनांक

22.10.2021 का आक्षेपित ज्ञापन कानून के विपरीत है, इसलिए इस पर विचार किया जाना उचित है। रद्द करना।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूर्वगामी कारणों से तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि वर्तमान मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद इदरीस अंसारी (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, मैं सरकार के उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 22.10.2021 को रद्द करना उचित और उचित समझता हूँ।

10. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सोनल/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।